फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 195 सितम्बर 2004

कहत कबीर
दर्द–दर–दर्द लिये दुकानदारी प्रवृति और अनन्त टेढेपन से पार पाने की राहें सीधेपन वाली राहें हैं।

मसला यह व्यवस्था है (4)

इस-उस नीति, इस-उस पार्टी, यह अथवा वह लीडर की बातें शब्द-जाल हैं, शब्द-आडम्बर हैं

★राजे- रजवाड़ों के दौर में, बेगार- प्रथा के दौर में मण्डी- मुद्रा का प्रसार कोढ में खाज समान था। छोटे- से ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैण्ड- वेल्स- स्कॉटलैण्ड- आयरलैण्ड में भेड़ों ने, भेड़- पालन ने मनुष्यों को जमीनों से खदेड़ा। कैदखानों में जबरन काम करवाने, दागने, फाँसी देने के संग- संग बेघरबार किये गये लोगों को दोहन- शोषण के लिये दूरदराज अमरीका- आस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर जबरन ले जाया गया। उन स्थानों के निवासियों के लिये तो जैसे शामत ही आ गई हो। गुलामी जिनकी समझ से बाहर की चीज थी उन अमरीकावासियों के कत्लेआम किये गये। अफ्रीका से गुलाम बना कर लोगों को अमरीकी महाद्वीपों में काम में जोता गया। ★फैक्ट्री- पद्धति ने मण्डी- मुद्रा के ताण्डव को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली फैक्ट्री- पद्धति को भाप- कोयले ने, भाप- कोयला आधारित मशीनरी ने स्थापित किया। इसके संग दस्तकारी और किसानी की मौत, दस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत आरम्भ हुई। छोटे- से ग्रेट ब्रिटेन के कारखानों में 6- 7 वर्ष के बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम में जोता गया और ... और बेरोजगार बने- बनते लाखों लोगों के लिये अनजाने, दूरदराज स्थानों को पलायन मजबूरी बने। ★फ्रान्स- जर्मनी- इटली. ... में फैक्ट्री- पद्धति के प्रसार के संग वहाँ भी आरम्भ हुई दस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत लाखों को मजदूर बनाने के संग- संग यूरोप से बड़े पैमाने पर लोगों को खदेड़ना भी लिये थी। अमरीका... आस्ट्रेलिया... लोगों से "भर गये"। ★बिजली ने रात को भी काम के लिये खोल दिया। फैक्ट्री- पद्धति ने हमारी नींद ही नहीं उड़ाई बल्कि मारामारी का वह अखाड़ा भी रचा कि 1914- 19 के दौरान ढाई करोड़ लोग और 1939- 45 के दौरान पाँच करोड़ लोग तो युद्धों में ही मारे गये। ★अब फैक्ट्री- पद्धति में यह इलेक्ट्रोनिक्स का दौर है। फैक्ट्री- पद्धति का प्रसार पृथ्वी के कौने- कौने में और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। इस दौर में एशिया- अफ्रीका- दक्षिणी अमरीका में दस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत तीव्र गति से हो रही है। भारत के, चीन के करोड़ों तबाह दस्तकार- किसान कहाँ जायें? इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा दुनियाँ- भर में बेरोजगार कर दिये गये, बेरोजगार किये जा रहे करोड़ों मजदूर कहाँ जायें?

सृष्टि में सर्वत्र बहुआयामी सम्बन्धों, आदान- प्रदानों का बोलबाला है। मनुष्यों में भी समुदाय- रूपी समाज रचनाओं में आपस में विभिन्न प्रकार के आदान- प्रदान थे। समुदाय में एक पीढी- एक आयु के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि पीढियों के बीच भी बहुआयामी रिश्ते थे। समुदायों के टूटने और ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं के उदय ने लोगों के बीच जो ढेरों प्रकार के आदान- प्रदान थे उन्हें सिकोड़ा। पीढियों के बीच सम्बन्ध संकुचित हो कर सीखाने वालों और सीखने वालों के बने – शिक्षा का, बड़ों द्वारा छोटों को शिक्षा का जन्म हुआ। ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं में झूठ- फरेब- तिकड़मबाजी एक अनिवार्य आवश्यकता है और शिक्षा- दीक्षा- संस्कार इस आवश्यकता की पूर्ति के जरिये। बच्चों के लिये पीड़ा और बड़ों के लिये एक बोझ है शिक्षा। ऊँच- नीच की मण्डी- मुद्रा वाली व्यवस्था ने पीढियों के बीच सम्बन्धों को और सिकोड़ा – शिक्षा भी अधिक संकरी हो कर विद्यालय- महाविद्यालय- विश्वविद्यालय वाली शिक्षा बन गई। विद्यालय शिक्षा विगत की शिक्षा से भी अधिक पीड़ादायक है। " शिक्षा जरूरी है" की पोलपट्टी के लिये प्री- नर्सरी, नर्सरी, एल के जी, यू के जी की चर्चा के बाद आइये पहली कक्षा से पाँचवीं तक के हालात पर नजर डालें।

– हर बात में "अब तुम बड़े हो गये हो" सुनना पड़ता है। सुबह सबेरे उठना किसी बंच्चे को अच्छा नहीं लगता – जगाना थप्पड़ मारना लगता है। स्कूल जाने को मन नहीं करता – छुट्टी के लिये पेट दूखने, सिरदर्द, छोटी चोट को बड़ी चोट बताना, झूठ बोलना कि मास्टर छुट्टी पर हैं।

– मन खेलने को करता है : पकड़ा- पकड़ी, छुपम- छुपाई, लकीरें खींचना- ढूँढना, लट्टू, कँचे, गेंद, गिल्ली- डण्डा, गप्प मारना, चुटकले, ठीकरी से कूदना- फाँदना,.... पेशेवर खेलों से कम ही वास्ता। इच्छा कि स्कूल कभी लगे ही नहीं, सदा छुट्टी रहे। और प्रश्न : क्यों पढते हैं? क्या जरूरत है?

ऊँच-नीच। आधुनिक ऊँच-नीच। अखाड़ा-मण्डी। विश्व मण्डी। होड़-प्रतियोगिता-कम्पीटीशन का सर्वग्रासी अभियान। स्वयं मनुष्यों का मण्डी में माल बन जाना। यह है वर्तमान समाज व्यवस्था।

– विद्यालय की आदत डालने के लिये माता- पिता पहले जहाँ लालच देते थे वही अब स्कूल जाने में आनाकानी को नखरे- बहाने- शैतानी करना कहते हैं। पीट भी देते हैं। रूठ कर, भोजन से इनकार कर माता- पिता को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठना सीख जाते हैं और माँ- बाप रिश्वत का विस्तार घर तक कर देते हैं।

– बच्चों को बात- बात पर टोका जाता है। इससे पहली- दूसरी के बच्चे भी चालाक हो जाते हैं पर माँ- बाप उन्हें बुद्धू ही समझते हैं। इस आयु में बच्चे प्रक्रिया को काफी समझ जाते हैं, माता- पिता की आदतों को समझ जाते हैं कि कहाँ से आगे नहीं बढना है। टेढेपन में शिक्षित- दीक्षित किये जाते बच्चे छिपाने, झूठ बोलने, चकमा देने में, पहली से पाँचवीं कक्षा तक काफी प्रगति कर लेते हैं।

– दोस्त बनाने और दोस्तों के साथ खेलने का इस उम्र में चस्का होता है। परिवार और विद्यालय इसमें बाधक हैं। कक्षा में अध्यापक से छिप कर दोस्ती निभाते हैं। घरवाले गली- मोहल्ले में निकलने से रोकते हैं : साइकिल- स्कूटर से टकरा जाओगे, कोई उठा ले जायेगा, बिगड़ जायेगी, संगत खराब हो जायेगी। बच्चों को बहुत खलता है घर से बाहर नहीं जाने देना। भोजन के बाद खेलना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे में माता- पिता टोकते हैं तो बहुत खराब लगता है। मार पड़ती है तो भी 7- 8 साल के लड़कों को घर से निकलना ही है। यहाँ लड़कियों को तब भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता – बर्तन माँजने, झाड़ू लगाने, पानी का गिलास देने में लड़की को ही लगाते हैं।

– गाँव में रविवार को ही नहीं बल्कि रोज स्कूल से छुट्टी के बाद घरवाले काम करवाते हैं। खेतों में काम के लिये माता- पिता लालच देते हैं, ज्यादा काम के लिये दो बच्चों में होड़ लगवा देते हैं और थक जाने अथवा छिलने पर होते दर्द की कहने पर कहते हैं कि बहाना कर रहे हो। फसल काटने- काढने- ढोने- रखने के समय तो बच्चों पर बहुत ज्यादा काम का बोझ लाद दिया जाता है। पशुओं को चारा- पानी के काम तो रोज रहते ही हैं। ऐसे में माता- पिता रात को पढने को कहते हैं तब बहुत गुस्सा आता है – किताब खोल कर बैठे रहते हैं।

– बारहवीं के बाद नौकरी नहीं मिली तो दो वर्ष एक नये- नये निजी विद्यालय में थोड़े- से पैसों में शिशुओं व पहली- दूसरी के बच्चों को पढाया। फिर आई.टी.आई. की, टाइप(**बाकी पेज चार पर**)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

नहीं दी तनखा

शिवालिक ग्लोबल, 12/6 मथुरा रोड़, जुलाई का वेतन 18 अगस्त तक नहीं; **श्याम टैक्स इन्टरनेशनल,** 4 सै-6, जुलाई की तनखा 21 अगस्त तक नहीं; **बीवो इंजिनियरिंग,** 40 सै-4, में 21 अगस्त तक नहीं; **ब्रॉन लैबोरेट्री,** 13 इन्ड. एरिया, स्थाई को जुलाई का वेतन 18 अगस्त को और ठेकेदारों के जरिये रखों को 19 अगस्त तक नहीं; **क्लच आटो,** 12/4 मथुरा रोड़, में एक विभाग को जुलाई की तनखा 14 अगस्त को और बाकी को 18 अगस्त तक नहीं; **एस.पी.एल.**,21-22 सै-6, में जुलाई की तनखा 21 अगस्त तक नहीं; **एच.जे. इंजिनियरिंग,** 352 सै-24, में वेतन किस्तों में और पहली किस्त 18-20 तारीख को जा कर; **इन्जेक्टो,** 20/5 मथुरा रोड़, में मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई की तनखायें 21 अगस्त तक नहीं; **निर्माण इन्डस्ट्रीज,** 145 सै-24 में जून की तनखा 9 अगस्त को और जुलाई की 14 अगस्त तक नहीं;.

न्यूनतम से कम वेतन

हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर- हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी पर 86 रुपये है और महीने में 4 छुट्टी पर 2244 रुपये (जुलाई तनखा में देय डी.ए. के आँकड़े अगस्त- अन्त तक जारी ही नहीं किये गये थे)।

एन.एम. नागपाल इन्टरप्राइज, 360 सै-24, में हैल्परों की तनखा 1500 रुपये महीना; **एन.एस.पी. फोरजिंग,** 142 सै-6, में भर्ती के समय हैल्पर को 1600 रुपये तनखा बताते हैं और देते 1500 हैं; **शिवम् थर्मापैक,** मलेरना रोड़, में हैल्परों की तनखा 1300 रुपये महीना; **अमर मशीन टूल्स,** 165-66 सै-24, में रोज के 70 रुपये; **ग्लोब कैपेसिटर,** 22 व 30/8 इन्ड. एरिया, में 8 घण्टे के 65 रुपये और रोज 10 घण्टे की ड्युटी तथा महीने में एक छुट्टी; **निर्माण इन्डस्ट्रीज,** 145 सै-24, में हैल्पर को प्लान्ट-I में 1500 रुपये और प्लान्ट-II में 1700 तनखा; **ओमेगा ब्राइट स्टील,** 109 सै-24, में ठेकेदार अपने कार्यालय में हैल्परों को 1600-1700 रुपये तनखा देते हैं और इनमें से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं; **श्याम टैक्स इन्टरनेशनल,** 4 सै-6, में हैल्पर को 1640 रुपये तनखा, 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **पंजाब रोलिंग मिल,** 149 सै-24, में हैल्परों को 1700 रुपये महीना तनखा; **बीर आटो,** सैक्टर-25, में हैल्परों को 1500-1800 रुपये महीना; **गुडविल इन्टरप्राइज,** 220 सै-24, में हैल्परों को 1500 रुपये और ऑपरेटरों को 1800-2000 रुपये तनखा; **हिमांशु पैकेजिंग,** 18 सै-6, में 800-1200-1500 रुपये और दादागिरी तनखा में; **अमर डेको सिरेमिक्स,** 181 सै-24, में हैल्परों को 1500 रुपये महीना तनखा;**कल्पना फोरजिंग,** 35 सै-6, में हैल्परों की तनखा 1400 रुपये महीना; **डी.पी.आटो,** 228 सै-24, में हैल्परों की तनखा 1500 रुपये महीना और लैट्रीन का बहुत-ही बुरा हाल;.....

और बातें यह भी

रेबेस्टोस मजदूर : " प्लॉट111 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में प्रदूषण बहुत ज्यादा है – इस बारे में शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक से एकत्र करने की बजाय धूल को एक कोठरी में छोड़ देते हैं और खतरनाक एस्बेसटोस मिली धूल उड़-उड़ कर पूरी फैक्ट्री में आती रहती है। रेबेस्टोस में 45 स्थाई और 275 कैजुअल वरकर काम करते हैं। तीन बड़े नेताओं को भुगत लेने के बाद ऐसे एक अन्य नेता को बराये नाम हम ने रखा है। पिछले तीन वर्षीय समझौते में स्थाई के संग-संग कैजुअल वरकरों को भी ओवर टाइम काम के पैसे डबल रेट से। फैक्ट्री में कैजुअलों की तनखा 2244 रुपये है और ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं।"

(हरियाणा सरकार ने 'स्वास्थ्य आपके द्वार' के नाम से आदेश जारी कर रखा है कि 15 जुलाई से डॉक्टर फैक्ट्रियों में जा कर मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच करें....) **सिफ्टर वरकर :** "प्लॉट 86 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में साल-भर से काम कर रहे मजदूरों के नाम रजिस्टर में नहीं हैं – इनके ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं और फैक्ट्री में काम करते मजदूरों में से आधे ऐसे हैं। आज, 17 अगस्त को फैक्ट्री में डॉक्टरों के आने की बात थी इसलिये जिनके नाम रजिस्टर में नहीं हैं उन्हें ड्युटी पर नहीं लिया, वापस भेज दिया। फैक्ट्री में रोज 10 घण्टे की ड्युटी है।"

रोलाटेनर्स मजदूर : " 13/6 व 14/5 मथुरा रोड़ तथा प्लॉट 112 डी.एल.एफ. स्थित प्लान्टों में जुलाई की तनखा 12 अगस्त को दी – स्टाफ की एक महीने की तनखा रोक ली है। कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे सब वरकर हटा दिये हैं और स्थाई मजदूरों में से ऑपरेटरों से हैल्परों का काम करवा रहे हैं। ओवर टाइम बन्द। कम्पनी कहती है कि काम नहीं है।"

मोहन राखी वरकर : " ब्राह्मणवाड़ा, बल्लभगढ स्थित फैक्ट्री में 40 लड़कियाँ काम करती हैं। दस-बारह वर्ष की लड़कियों की 500 रुपये महीना तनखा है और संग में थप्पड़ भी।"

एस.पी.एल. मजदूर : "प्लॉट 47-48 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे 300 वरकरों को 12 घण्टे प्रतिदिन काम के बदले महीने में 2200 रुपये देते हैं। कम्पनी ने जिन 800 को स्वयं रखा है उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाता है पर ओवर टाइम काम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। इधर दो महीने से शनिवार व रविवार को काम बन्द रहता है अन्यथा महीने के तीसों दिन 12 घण्टे काम करना पड़ता है और एक दिन की छुट्टी करने पर 4 दिन गेट बन्द कर देते हैं। जुलाई की तनखा आज, 14 अगस्त तक नहीं दी है।"

इन्डीकेशन वरकर : " कम्पनी की प्लॉट 3 सैक्टर-5 और प्लॉट 19 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्रियों पर 10 अगस्त को भविष्य निधि विभाग ने छापा मारा – 160 स्थाई मजदूरों के संग काम कर रहे 400 से अधिक कैजुअल वरकरों पर पी.एफ. के प्रावधान कम्पनी ने लागू नहीं किये हैं।" ☞

टेकमसेह मजदूर : " 38 कि.मी. मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 30 जुलाई को ले ऑफ समाप्त होने के बाद छँटनी के बारे में मैनेजमेन्ट-यूनियन मीटिंगें। सुपरवाइजरों ने 12 अगस्त को 2 बजे प्रचार आरम्भ किया कि लीडरों के नहीं मानने से कोई परिणाम नहीं निकला – कम्पनी 107 दिन के हिसाब के संग अतिरिक्त भी दे रही थी, अब तो सूखे ही नौकरी से निकाले जायेंगे। फिर 13 अगस्त को चण्डीगढ में श्रमायुक्त के साथ यूनियन-मैनेजमेन्ट मीटिंग की चर्चा। लीडरों ने 14 अगस्त को चण्डीगढ से लौट कर कहा कि समझौता हो गया है, बढिया समझौता। परन्तु नेताओं ने सभा नहीं की – कम्पनी ने 17 अगस्त को वी.आर.एस. नोटिस बोर्ड पर टाँगी और 25 अगस्त को अन्तिम तारीख बताया। लेकिन 25 तक असली-नकली 50 लोगों ने भी नौकरी छोड़ने के फार्म नहीं भरे। कम्पनी ने बड़ी सँख्या में मजदूरों को जनरल शिफ्ट में बुलाना शुरू किया और फैक्ट्री में खाली बैठाने लगी। जिन विभागों को बन्द करने की चर्चा थी उनमें मजदूरों को मैनेजमेन्ट ने ट्रान्सफर किया। अधिकारी बार-बार बुला कर मजदूरों को वी.आर.एस. फार्म भरने को कहने लगे – अन्यथा की चेतावनी के संग। आरोप-पत्र बाद में दिया जायेगा वाले निलम्बन.... वी.आर.एस. वास्तव में सी. आर. एस. और फैक्ट्री पर पुलिस। वरकरों के सामने लीडरों ने हाथ खड़े कर दिये – 'कुछ नहीं कर सकते; आगे इससे भी बुरा हो जाये तो हमें मत कहना'। इस सब के बावजूद 4 सितम्बर तक मुश्किल से असली-नकली 150 फार्म भरे गये थे।"

हाथ कटाओ-हाथ कटाओ

बेलमेक्स मजदूर : " प्लॉट125 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्र में 11 अगस्त को पावर प्रेस पर एक कैजुअल वरकर का कलाई से पूरा हाथ कट गया। महीना भी नहीं हुआ है फोर्क लिफ्ट से एक स्थाई मजदूर के टखने के ऊपर से पूरा पैर कटे और दूसरे की एड़ी कटे। फैक्ट्री में 200 मजदूर हैं और 12 घण्टे की एक ही शिफ्ट है पर उसके बाद भी रोक लेते हैं। हैल्परों को 1450 रुपये महीना और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

गैरीसन टूल्स वरकर : " प्लॉट 99 संजय कॉलोनी, सैक्टर-23 स्थित फैक्ट्री में साल-भर पहले मैं लगा था। मुझे काम करते 6 दिन ही हुये थे कि मशीन से मेरा हाथ कट गया – चारों उँगलियाँ और अँगूठा गये। कम्पनी ने ई.एस.आई. अस्पताल में मेरा इलाज करवाया। मुझे 1600 रुपये तनखा कह कर भर्ती किया था पर एक्सीडेन्ट रिपोर्ट में 2400 रुपये वेतन लिखा। कम्पनी ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरी नौकरी स्थाई कर देगी। इलाज के पश्चात ई.एस.आई. डॉक्टर के फिटनेस प्रमाणपत्र पर मुझे नौकरी पर रख लिया गया। लेकिन इधर 27 जुलाई को कम्पनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने श्रम विभाग में शिकायत की है।"

डायनेमिक इण्डियन इक्विपमेन्ट्स मजदूर : " प्लॉट 37 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में मजदूरों के हाथ कटते रहते हैं – 28 जुलाई को फिर एक वरकर की पावर प्रेस से उँगली कट गई। फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड 7-8 हाथ कटों के ही हैं – हाथ कटने के बाद कम्पनी ई.एस.आई. कार्ड बनवाती है। रोज 12 घण्टे काम करना पड़ता है – रविवार को भी और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। बारह घण्टे बाद भी जबरन रोक लेते हैं। हैल्परों को 1300 रुपये और ऑपरेटरों को 1800 रुपये महीना तनखा है। मैनेजर फोरमैन को गाली देता है और फोरमैन मजदूरों को। फैक्ट्री में **मारुति** के पार्ट बनते हैं।"

परत-दर-परत

न्यू एलनबरी वर्क्स मजदूर: "14/7 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री वाहन गियर उत्पादन की प्रमुख इकाइयों में है। फैक्ट्री में प्रवेश के लिये कम्पनी ने 1 मई को शर्तों पर हस्ताक्षर करने को कहा और यूनियन ने दस्तखत नहीं करने को – 261 स्थाई मजदूरों में से 226 चार महीनों से फैक्ट्री के बाहर हैं जबकि 35 स्थाई मजदूर, ठेकेदारों के जरिये रखे 200 वरकर, 100 पुराने व 200 नये भर्ती कैजुअल वरकर तथा स्टाफ के 150 लोग उत्पादन कार्य कर रहे हैं। बसों में लाते- ले जाते हैं।

"दिसम्बर 96 में 250 लोगों वाले गियर बॉक्स विभाग को बन्द किये जाने के समय फैक्ट्री में 1200 स्थाई लोग काम करते थे जिनमें से करीब 500 स्टाफ में थे। गियर बॉक्स के लोगों को अन्य विभागों में रख लिया गया था। धीरे- धीरे कर लोग नौकरी छोड़ते गये और सन् 2000 में 900 रह गये थे – तब फैक्ट्री में कोई कैजुअल वरकर नहीं था और ठेकेदार के जरिये रखे मात्र 10- 20 थे। क्षेत्र आदि के आधार पर न्यू एलनबरी में भर्ती इस प्रकार से की गई थी और हिसाब ऐसे दिया जाता था कि नौकरी छोड़ने वाले चुपचाप चले जाते थे, बताते नहीं थे।

"1970 में स्थापना के समय से फैक्ट्री के प्रमुख रहे को 5 वर्ष पहले अचानक हटा दिया गया और नये साहब ने लागत कम करने का जाप आरम्भ किया। कैजुअल वरकर भर्ती किये गये और ठेकेदार 15- 16 हो गये – सी.एन.सी. विभाग में तो हैं ही ठेकेदार के वरकर। कैजुअलों व ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की 12- 12 घण्टे की ड्युटी और उन्हें ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।

" सन् 2002 में कम्पनी की स्थाई मजदूरों को निकालने और कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये वरकर रखने की नीति में पुलिस व फुटकर गुण्डों की भूमिका खुल कर सामने आई। वर्क्स कमेटी से तीन वर्षीय समझौते के सिलसिले में 22 मजदूर निलम्बित किये गये – एक को छोड़ कर सब हिसाब ले गये। बचाव- राहत के लिये हम स्थाई मजदूरों ने उसी यूनियन का पल्लू पकड़ा जिसे 1982 में गड़बड़ करने पर हम ने छोड़ दिया था। छह महीने का चन्दा दे कर यूनियन के सदस्य बनने के संग- संग कम्पनी द्वारा मजदूरों को इधर- उधर पिटवाने का सिलसिला चला।

" निलम्बनों, ट्रान्सफरों और गुण्डागर्दी के खिलाफ हम ने कई बार उत्पादन रोका – कभी एक घण्टे, कभी दो घण्टे और फिर अगस्त 03 में तो 14 दिन फैक्ट्री में टूल डाउन किया। अपनी जकड़ बनाये रखने के लिये सितम्बर में मैनेजमेन्ट ने यूनियन से वार्तायें आरम्भ की – तीन महीने फैक्ट्री में शान्ति रही और दिवाली पर नेताओं के जरिये कम्पनी स्थाई मजदूरों को टूर पर ले गई।

" न्यू एलनबरी में स्थाई मजदूरों की तनखायें भी कम हैं पर उत्पादन वाले कई दिन इनसेन्टिव में 90 रुपये रोज ले लेते। इनसेन्टिव योजना 15 वर्ष पहले आरम्भ की गई थी और इस दौरान उत्पादन तीन गुणा से ज्यादा बढ गया है – वरकर लगे ही रहते, कई की मशीनें लन्च में भी चलती रहती, 131 प्रतिशत उत्पादन पर 45 रुपये और दो मशीनों पर ऐसा करने पर 90 रुपये। इस वर्ष के आरम्भ में मैनेजमेन्ट ने स्थाई मजदूरों पर कम उत्पादन देने का आरोप लगाना शुरू किया। स्थाई मजदूरों से कम्पनी दो की जगह एक मशीन चलवाने लगी और बगल में कैजुअल वरकर लगा दिये– इनसेन्टिव आधा हो गया, नौकरी पर खतरा बढ गया। फिर अप्रैल- आरम्भ में मैनेजमेन्ट ने छाँट कर एक तगड़े स्थाई मजदूर को मशीन से हटा कर उसकी जगह कैजुअल लगा दिया।

"यूनियन- मैनेजमेन्ट वार्ता में तय हुआ कि स्थाई मजदूर अपनी मशीन पर बैठे और कैजुअल उस पर काम करे। हफ्ते बाद शिफ्ट बदली तो सूची में उस स्थाई मजदूर का नाम नहीं था। उस शनिवार को दो शिफ्टों के मजदूर फैक्ट्री पार्क में इक्ट्ठे हो गये। कम्पनी ने भारी सँख्या में पुलिस बुला ली। पुलिस ने समझौता कराया कि वह मजदूर पहली शिफ्ट में ही आये, मशीन पर बैठे, तनखा मिलेगी। हफ्ते- भर बाद एक स्थाई मजदूर छुट्टी गया तो कम्पनी के भले के नाम पर मजदूरों ने बैठा रखे वरकर को खाली मशीन पर लगवा दिया। उसने सामान्य उत्पादन दिया और कम्पनी ने कैजुअल वरकर के बराबर, यानि सामान्य से दो गुणा उत्पादन माँगा। ऐसा करने से इनकार पर अगले रोज, 30 अप्रैल को मैनेजमेन्ट ने उस मजदूर को मशीन नहीं चलाने दी और इसके विरोध में सब स्थाई मजदूरों ने काम बन्द कर दिया।

" पहली मई को कम्पनी ने फैक्ट्री में प्रवेश से पहले शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा। यूनियन ने दस्तखत करने से मना किया। स्थाई मजदूरों में से सिर्फ 35 अन्दर गये और हम 226 बाहर रहे – हमें अप्रैल की तनखा आज पहली सितम्बर तक नहीं दी है। कम्पनी मई के आरम्भ से पंजीकृत पत्र भेज रही है पर यूनियन के निर्देश पर कोई मजदूर उन्हें ले नहीं रहा। लीडर स्वयं तो अधिकारियों के पास भागदौड़ कर ही रहे हैं, बाहर बैठे हम मजदूरों को ले कर दो बार डी.सी. और दो बार डी.एल.सी. के पास भी हो आये हैं। नई सरकार से बहुत उम्मीदें जगाये यूनियन दो बार दिल्ली व अन्य बाहर के लीडरों की फैक्ट्री गेट पर मीटिंग करवा चुकी है। चण्डीगढ में श्रम विभाग में तीन तारीखों पर लीडर जा चुके हैं। भविष्य निधि विभाग ने फैक्ट्री पर छापे मारे हैं। कम्पनी ने जुलाई- अन्त में 2- 3 लीडरों को फैक्ट्री में बुला कर कहा था कि 157 मजदूर कभी भी ड्युटी पर आ जायें, 52 मजदूर छुट्टी पर हैं उनका बताओ क्या करें, 47 निलम्बित हैं उनकी घरेलू जाँच होगी..... लीडरों का कहना था कि सब को ड्युटी पर लो। आज पूरे 4 महीने हो गये हैं। यूनियन के सामान्य चन्दे के अलावा भी हम ने कई बार 100- 100 और 50- 50 रुपये करके जो पैसे एकत्र किये थे वे भी खत्म- से हो रहे हैं – सहायता के आश्वासन मिले हैं। कल, 31 अगस्त को सुबह फैक्ट्री में जाने वाली बसों को रोकने की कोशिश की तब पुलिस ने हम पर लाठियाँ बरसाई। लगता है कि फैक्ट्री के बाहर बैठ कर हम फँस गये हैं – हमें बाहर बैठा कर फँसा दिया है भी कह सकते हैं।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी, फरीदाबाद–121001

एस्कोर्ट्स

एस्कोर्ट्स मजदूर : "20/4 मथुरा रोड़ स्थित एस्कोर्ट्स ऑटोकम्पोनेन्ट्स (पूर्व में एनसीलरी) में हम 250 स्थाई मजदूर थे। दिसम्बर 03 में हम में से 95 को एस्कोर्ट्स समूह के अन्य प्लान्टों में भेज दिया गया। फिर फैक्ट्री के एग्जेक्युटिव डायरेक्टर आदि को फैक्ट्री बेचने से एक दिन पहले, 25.6. 04 को हम में से 100 और को एस्कोर्ट्स प्लान्टों में ट्रान्सफर कर दिया गया। छोड़ दिये गये हम 50 मजदूर यूनियन लीडरों से मिले और हमें भी एस्कोर्ट्स प्लान्टों में भेजने का अनुरोध किया। हम 50 लोग 26 जून को यूनियन दफ्तर में जा कर बैठ गये तब दोपहर बाद प्रधान हमें वापस फैक्ट्री ले गया। वहाँ प्रधान तथा ई.डी. से एम.डी. बने भरत कैप्रिहान ने हमें जबानी आश्वासन दिये। नई कम्पनी में नहीं रहने और एस्कोर्ट्स में ट्रान्सफर के लिये हम ड्युटी के बाद रोज यूनियन कार्यालय जाने लगे। एक तो फैक्ट्री बिक्री में हमारे हितों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज हमें नहीं दिया गया है और फिर किसे भेजना है तथा किसे रोकना है का कोई उचित आधार नहीं है – मनमर्जी चली है। जबानी आश्वासनों से हम नहीं बहले और 10- 12 दिन लगातार यूनियन आफिस पहुँचते रहे तब प्रधान ने फैक्ट्री आ कर मीटिंग में कहा कि दफ्तर आने से संगठन कमजोर होता है। हम क्या करें?

" चेयरमैन का 12 जुलाई का पत्र प्लान्टों में बाँटा गया और वहाँ इसकी गड्डियाँ भी रखी थी पर फिर भी यह पत्र कूरियर द्वारा हर मजदूर के घर भेजा गया। वर्ष 2003- 2004 में 352 करोड़ रुपये का भारी घाटा बताने वाला यह पत्र 'कम्पनी पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाल कर' कूरियर से घर- घर भेजा गया ताकि पत्नी- बच्चों में घबराहट पैदा हो और एस्कोर्ट्स मजदूरों की वेतन वृद्धि की माँग पर अतिरिक्त लगाम लगे।

" वर्ष में 352 करोड़ रुपये का भारी घाटा, एस्कोर्ट्स के अस्तित्व को गम्भीर खतरा, कम्पनी पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डालना कह कर 12 जुलाई के पत्र में चेयरमैन ने वर्षों से ठहरे मजदूरों के वेतन को आगे भी जस का तस रखने का ऐलान- सा किया और ... और मैनेजरों (जी 1 से जी 5) को जुलाई से वेतन में 1050 से 7000 रुपये मासिक वृद्धि की है – बड़े साहबों (जी 6 से जी 11) की वेतन वृद्धि का पता नहीं।

" फार्मट्रैक में अन्य प्लान्टों से वरकर ट्रान्सफर किये हैं और 700- 800 कैजुअल वरकर भी हैं। सितम्बर में और कैजुअल भर्ती करेंगे। चर्चा है कि तीन महीने लगातार फार्मट्रैक में 60+60 =120 ट्रैक्टर प्रतिदिन बनेंगे और थर्ड प्लान्ट में 100 ट्रैक्टर रोज। लेकिन पैसे मत माँगो! वेतन नहीं बढाने के खिलाफ फार्मट्रैक में जून और जुलाई में हर मंगलवार को मजदूरों ने कैन्टीन का बॉयकॉट किया – लीडरों ने कहा कि ठीक नहीं कर रहे, अगस्त में कैन्टीन बॉयकॉट समाप्त कर दिया।

" क्लास में वरकरों को फैक्ट्री गेट पर बैठे 5 महीनों से ऊपर हो गये हैं। एस्कोर्ट्स रेलवे डिविजन में मजदूर महीनों से अकेले जूझ रहे हैं। सी एच डी से 12 के और कॉरपोरेट से 8 के ट्रान्सफरों पर फालतू का नुकसान ऊपर से। शॉकर डिविजन में बारिश के दिनों में हर वर्ष काम ढीला रहता है पर इस साल तो छुट्टियाँ कर रहे हैं – कहते हैं कि काम नहीं है। प्रधान को गालियाँ देने से तो कुछ खास होगा नहीं। इस सब से पार कैसे पायें?

" स्थाई मजदूरों की ही तरह एस्कोर्ट्स प्लान्टों में कैजुअल वरकरों को 20 प्रतिशत बोनस दिया जाता है लेकिन थर्ड प्लान्ट स्थित ई सी ई एल में स्थाई को तो 20 प्रतिशत बोनस देते हैं लेकिन कैजुअल वरकरों को 8.33 प्रतिशत ही।"

दिल्ली से-

होण्डा कार मजदूर : " बदरपुर में सेबल सिनेमा के सामने होण्डा कार का शोरूम और वर्कशॉप हैं। यहाँ हम 250 वरकर काम करते हैं। स्टाफ वाले 15-20 लोगों की ही ई.एस.आई. व प्रोविडेन्ट फण्ड हैं, मजदूरों की नहीं। चार-पाँच साल से लगातार काम कर रहे वरकरों के ई.एस.आई. फार्म अब भरे जा रहे हैं। यहाँ एक ही शिफ्ट है और रोज 3-4 घण्टे ओवर टाइम काम करना पड़ता है – ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। दिल्ली में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 2863 रुपये है पर होण्डा साउथएण्ड शोरूम-वर्कशॉप में हैल्परों को 2500 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

माइकल आराम एक्सपोर्ट वरकर : "बी-156 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में 3 अगस्त को अचानक 4 मजदूरों के डिसमिस नोटिस पर फैक्ट्री में टूल डाउन रहा। परन्तु इस अहसास के बाद कि कम्पनी ने भड़काने के लिये ही हरकत की है और टूल डाउन जारी रखने पर बिछाये गये जाल में फँस जायेंगे, 4 अगस्त को हम ने मशीनें चला दी। कम्पनी के खिलाफ श्रम विभाग में शिकायत की। मैनेजमेन्ट ने धीमी गति से कार्य करने वाले नोटिस लगाये पर जुलाई का वेतन हमें देना पड़ा। तब कम्पनी ने 'फैक्ट्री में प्रवेश के लिये शर्तों पर हस्ताक्षर करो' वाला दाँव चला। 'दस्तखत करने से हाथ कट जायेंगे' के भ्रम में हम ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया – यूनियन ने भी ऐसा ही कहा और 10 अगस्त से हम फैक्ट्री के बाहर बैठने लगे। इधर-उधर चर्चायें करने पर समझ में आया कि बाहर बैठना निकाले हुये सहकर्मियों की तो कोई मदद करेगा ही नहीं बल्कि इससे हम सब कम्पनी के जाल में फँस जायेंगे। फैक्ट्री में रहते हुये हम अधिक आसानी से विभिन्न प्रकार से दबाव लगातार बना सकते हैं और निकाले हुओं को वापस ड्युटी पर रखवाने के संग-संग अपनी नौकरी पर खतरे कम कर सकते हैं। सोच-विचार कर हम फैक्ट्री में जाने का तय कर ही रहे थे कि श्रम विभाग के एक अधिकारी ने हमारे सामने फोन पर फैक्ट्री मैनेजर को लताड़ा। ऐसे में साहब द्वारा दी 17 अगस्त की तारीख का इन्तजार करना हमें बेहतर लगा। मैनेजर 17 को पेश ही नहीं हुआ – 16 अगस्त को श्रम विभाग में पत्र दिया कि मजदूरों से खतरा है इसलिये प्रस्तुत नहीं हो सकते। फैक्ट्री गेट पर 16 अगस्त को ही 12 मजदूरों के निलम्बन का नोटिस लगा दिया – 3 अगस्त के डिसमिस नोटिस में जिन 4 के नाम थे उन 4 के नाम इन 12 निलम्बित में भी! नई हरकत और 24 अगस्त की नई तारीख – हम फिर इन्तजार करने लगे। और, 23 अगस्त को श्रम विभाग के एक अन्य अधिकारी ने 5 मजदूरों द्वारा शिकायत वापस लेने, कम्पनी से समझौता करने, नौकरी छोड़ने के बदले नगद राशि लेने वाली कार्रवाई गुपचुप व चटपट में सम्पन्न करवाई। अगले दिन तारीख पर बड़े अधिकारी के सामने दस्तावेज पेश, साहब द्वारा गड़बड़ी करने के लिये अपने कनिष्ठ को डाँटना, कम्पनी इस बार भी पेश नहीं हुई। अगली तारीख 27 अगस्त। फिर कम्पनी पेश नहीं हुई पर 11 मजदूर नौकरी छोड़ने सम्बन्धी कम्पनी से समझौते का पत्र लिये पहुँचे। हम में निराशा-हताशा फैलाने के लिये यह किया गया। डर और थोड़े-से लालच में हम अपने सहकर्मियों को नुकसान क्यों पहुँचाते हैं? हम अपने स्वयं के पैरों पर चोट क्यों मारते हैं? गैर-कानूनी तालाबन्दी बनाम हड़ताल बने इस मामले में अब 3 सितम्बर की तारीख पड़ी है।"

सरीन एक्सपोर्ट मजदूर : "ए/100/1 ओखला फेज-II स्थित फैक्ट्री में काम करते 1500 मजदूरों में से 20 ही स्थाई हैं। कैजुअल वरकरों को कम्पनी 2200 रुपये महीना तनखा देती है – ई.एस.आई. नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं।"

एच.बी. इन्टरप्राइजेज वरकर : "237/ बी ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में रोज 10 घण्टे काम करना पड़ता है – रविवार को भी। ओवर टाइम काम के लिये कोई पैसे नहीं – तीस दिन 10 घण्टे रोज के बदले में 3208 रुपये। डेढ सौ वरकरों में से 50 स्थाई हैं और ई.एस.आई. व पी.एफ. उन्हीं के हैं।"

मसला यह व्यवस्था है..... (पेज एक का शेष)

करना भी सीखा पर नौकरी नहीं मिली। अब चार वर्ष से चौथी से आठवीं कक्षा को 550 रुपये महीना तनखा में गणित और विज्ञान पढा रहा युवा शिक्षक : " स्कूल में बच्चों का मन तो लगता ही नहीं। जबरन भेजे जाते हैं और जबरन ही रखे जाते हैं। पहली-दूसरी-तीसरी-चौथी कक्षा के बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुँचते, पढाई में ध्यान नहीं देते, पढने में उनकी रुचि ही नहीं होती, ननिहाल जायेंगे तो ज्यादा दिन वहाँ रह जायेंगे। डरायें-धमकायें-पीटें नहीं तो बच्चे कुछ करें ही नहीं। कोई-कोई बच्चा अपने आप से लिख कर लाता है अन्यथा सब डर की वजह से करते हैं। कुछ बच्चे तो डराने पर भी नहीं करते-सोचते हैं कि पिटाई खा लेंगे।"

– कमरे में बैठे रहना, बैंच पर बैठे रहना, पानी-पेशाब के लिये अनुमति लो, अंगड़ाई लेने पर झाड़ – झपकी पर बैंच पर खड़ा कर अपमानित किया जाना, बाहर नहीं जा सकते. ... जो पढाया जा रहा है उसमें मन नहीं है पर दिखावा करना है कि बहुत ध्यान से और रुचि से सुन रहे हैं..... यह बच्चों को अच्छे, सुफल जीवन के लिये तैयार करना तो बिलकुल नहीं है। हाँ, यह बच्चों को फैक्ट्री के लिये, नौकरी-चाकरी के लिये तैयार करना है।

नीति, पार्टी, नेता बदलने से इस सब में कोई फर्क पड़ेगा क्या ? (जारी)

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

कानून-कानून

ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल मजदूर : " प्लॉट 17-एच इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में आटोमेशन और छँटनी करती आई कम्पनी ने 15 वर्ष में मजदूरों की सँख्या 7000 से 2200 कर दी थी। और, इन 2200 में से 900 को निकालने का विरोध कर रहे मजदूरों को कुचलने के लिये कम्पनी ने 12 सितम्बर 96 को फैक्ट्री में तालाबन्दी की। हरियाणा सरकार ने 9 जनवरी 97 को फैक्ट्री में तालाबन्दी को गलत और गैरकानूनी घोषित कर फौरन फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया। श्रम न्यायालय ने सरकार के आदेश को सही ठहराते हुये 7 जून 2000 को तालाबन्दी को गलत और गैरकानूनी करार दिया। और, आज 30 अगस्त 04 को भी ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल में तालाबन्दी जारी है।

" प्लॉट 10-11 सैक्टर-24 स्थित ईस्ट इण्डिया की सहायक पावरलूम फैक्ट्री में भी 12.9.96 को ही तालाबन्दी की गई थी। हरियाणा सरकार ने 18.2.98 को इस तालाबन्दी को गैरकानूनी घोषित किया और श्रम न्यायालय ने 23 मार्च 01 को सरकार के निर्णय को न्यायसंगत ठहराया। आज 30 अगस्त 04 को यह तालाबन्दी भी जारी है .... श्रम न्यायालय ने पावरलूम के 117 मजदूरों को 2 करोड़ 25 लाख 65 हजार 685 रुपये देने का आदेश मार्च 2000 में दिया और अन्य मजदूरों के मामले में भी ऐसे ही आदेश। श्रम आयुक्त ने चण्डीगढ से 20 मार्च 01 को 117 मजदूरों के पैसे कम्पनी से वसूल कर दिलाने का आदेश फरीदाबाद के डी.सी. को दिया – अन्य मजदूरों के लिये चण्डीगढ से ऐसा आदेश अगस्त 04 तक जारी नहीं हुआ है। डी.सी. ने 5 अप्रैल 01को असिस्टेन्ट कलेक्टर, जो कि श्रम एवं समझौता अधिकारी ही है, को पैसे वसूल कर मजदूरों को देने का आदेश दिया। वसूली के लिये ईस्ट इण्डिया व पावरलूम के कर्ताधर्ता निकुंज लोहिया की गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दी। तीन साल इधर-उधर कर असिस्टेन्ट कलेक्टर ने 20 जुलाई 04 को 'अन्य अधिकारी से वसूली करवाने' की कह कर मामला वापस डी.सी. को भेज दिया। मजदूरों को एक पैसा नहीं मिला है।

" 12.9.96 को फैक्ट्री में तालाबन्दी कर ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल मैनेजमेन्ट बी.आई.एफ.आर. पहुँची और 4.10.96 को कम्पनी को बीमार घोषित करवा कर ढेरों कानूनी सहुलियतें-राहतें प्राप्त कर ली। छह साल बी.आई.एफ.आर. की छत्रछाया में 25.2.97., 27.6.97, 25.11.97, 10.9.98, 8.3.99, 8.9.99, 10.10.2000, 23.11.2001, 2.5.2002 को सुनवाई होती रही। इस दौरान कम्पनी को स्वस्थ करने की कोई योजना तक स्वीकृत नहीं थी – मैनेजमेन्ट को बस समय पर समय दिया जाता रहा। कम्पनी ने 2.4.2002 को बी.आई.एफ.आर. को सूचित किया कि मजदूरों को छँटनी मुआवजे की प्रस्तावित राशि 11 करोड़ 77 लाख रुपये से घटा कर एक करोड़ तीस लाख रुपये करने के सहमति-पत्र पर यूनियन ने हस्ताक्षर कर दिये हैं..... यह दुखद नौटंकी चलती रहती पर 2.5.02 की बी.आई.एफ.आर. की सुनवाई में बड़ी सँख्या में ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल मजदूर दिल्ली पहुँचे – मैनेजमेन्ट को अपने यूनियन वालों को प्रवेश कराने देने तथा मजदूरों को रोकने पर एतराज हुये और बी.आई.एफ.आर. को सुनवाई रोकनी पड़ी। आखिरकार 30.7.02 को बी.आई.एफ.आर. ने तय किया कि ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल को समाप्त कर दिया जाये, वाइन्ड अप कर दिया जाये और कार्रवाई के लिये मामला कोलकाता हाई कोर्ट भेज दिया – कम्पनी का मुख्यालय कोलकाता में है। बी.आई.एफ.आर. के निर्णय के खिलाफ मैनेजमेन्ट ने ए.ए.आई.एफ.आर. में अपील कर दी। सरकार ने ए.ए.आई.एफ.आर. के सदस्य व अध्यक्ष नियुक्त ही नहीं किये हैं इसलिये इन दो वर्ष में अपील की सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट...."

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।